**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा,**

पीठासीन अधिकारीः– सोहन लाल, आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 18 / 2020

| **प्रार्थी** | **बनाम** | **अप्रार्थी** |
|---|---|---|
| श्रीमती शायरी पत्नी लाबूराम<br>जाति घांची निवासी हरियाड़ा<br>तहसील बिलाड़ा,<br>जिला–जोधपुर | | राजस्थान सरकार जरिये<br>तहसीलदार बिलाड़ा<br>जिला जोधपुर |

**<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>**

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी सरकारी पेरोकार

**निर्णय** दिनांक 22/3/2022

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 627 / 28 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ आयी हुयी है। जिसकी पहले खातेदारी भंवरलाल, गोकलराम, शंकरलाल, कानाराम पिसरान घेवरराम, श्रीमती उगराई पत्नी घेंवरराम, लक्ष्मणराम पुत्र पुखाराम जातियान घांची निवासीगण हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा के नाम से थी। खातेदार भंवरलाल, गोकलराम, शंकरलाल, कानाराम पिसरान घेवरराम, श्रीमती उगराई पत्नी घेंवरराम, लक्ष्मणराम पुत्र पुखाराम ने अपनी खातेदारी, कब्जाकाश्तसुदा की 5 बीघा भूमि को प्रार्थी श्रीमती शायरी पत्नी लाबूराम जाति घांची निवासी हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 04.01.2014 को कर दिया। रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1661 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में भूमि खसरा नम्बर 627 / 105 रकबा 5 बीघा प्रार्थी श्रीमती शायरीदेवी की खातेदारी में दर्ज कर दिया। प्रार्थी रजिस्टर्ड बैचान के अनुसार अपनी खरीदसुदा, कब्जासुदा, तरमीमसुदा भूमि पर काबिज है। प्रार्थी ने दिनांक 16.06.2020 को अपनी खरीदशुदा, कब्जा काश्तशुदा तरमीमशुदा भूमि खसरा नम्बर 627 / 105 रकबा 5 बीघा का राजस्व रेकर्ड में संपरिवर्तनशुदा का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पटवारी ने राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस देखकर प्रार्थी को बताया कि आपकी खातेदारी भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नही है तो यह सुनकर प्रार्थी बड़ी आश्चर्यचकित हुयी और प्रार्थी ने हल्का पटवारी को बताया कि भूमि खसरा नम्बर 627/105 रकबा 5 बीघा दिनांक 26.04.2017 से तरमीमशुदा है तथा प्रार्थी ने हल्का पटवारी द्वारा जारी किये गये नक्शा ट्रेस दिनांक 26.04.2017 तथा दिनांक 16.06.2020 की नकल को बताया, फिर भी हल्का पटवारी ने प्रार्थी को कहा कि आप तहसीलदार साहब के पास पुनः राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में भूमि तरमीम करने बाबत् का आदेश लेकर आओ तभी आपकी भूमि का नक्शा ट्रेस में भूमि तरमीम की जायेगी, जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष दिनांक 26.04.2017 तथा दिनांक 16.06.2020 के नक्शा ट्रेस की नकल को बताया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने प्रार्थी को बताया कि ऑनलाईन नक्शा में आपकी तरमीम को भूलवश हटा दी गयी है, आप सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आ जाओ आपकी भूमि की तरमीम ऑनलाईन में दी जायेगी। ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 627/105 रकबा 5 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में शुरू से ही तरमीमशुदा है, जो राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस दिनांक 26.04.2017 तथा दिनांक 16.06.2020 से साबित है, उसके बावजूद भी तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रार्थी को नोटिस या सूचना दिये बीना ही खातेदारी भूमि की तरमीम को खत्म कर दिया है। मौजूदा मामलें में न तो राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने या किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है। अतः तत्कालीन हल्का पटवारी को बीना कोई निर्णय या आदेश के ही अनाधिकृत तौर से तरमीम हटाने का कोई अधिकार नही है।

अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हरियाडा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 627/105 रकबा 5 बीघा के नक्शा ट्रेस (ऑनलाईन) में तरमीम करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार उपस्थित हुये एवं जवाब पेश किया जो जवाब के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 627/1 रकबा 167.5196 हैक्टेयर की भूमि में सायरी पत्नी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

लाबूराम घांची दर्ज है। राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर 627/105 तरमीमशुदा है, लेकिन डी.आई.एल.एम.पी. कार्यक्रम के तहत सम्पूर्ण बट्टा नम्बरों को मर्ज किया गया है। वर्तमान राजस्व लट्ठा ट्रेस में यह खसरा मौका स्थिति अनुसार तरमीमशुदा है, जबकि ऑनलाईन नक्शा में नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 627/105 रकबा 5 बीघा राजस्व नक्शा ट्रेस दिनांक 26.04.2017 तथा दिनांक 16.06.2020 से तरमीमशुदा है। प्रार्थी की तरमीम को हटाने से पूर्व कोई सूचना नही दी गयी है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 627/105 राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा में तरमीम होने की अप्रार्थी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। प्रार्थी अपनी खरीदशुदा, कब्जाशुदा, स्वामित्वशुदा, रेकर्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 627/105 का ऑनलाईन तरमीम करने का हकदार है, प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम नहीं की गयी तो उसके अधिकारो का हनन होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है तथा ग्राम हरियाडा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 627/105 रकबा 5 बीघा के नक्शा ट्रेस (ऑनलाईन) में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(सोहन लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 22/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(सोहन लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा